“भारतीय परिप्रेक्ष्य में किशोर न्याय और नवाचार का समीक्षात्मक अध्ययन”

शोध की रूपरेखा

पी–एच.डी. (विधि) उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध छात्र

असीम प्रसेनजित

नामांकन सं0–IIMTU/2170230

शोध पर्यवेक्षक

डॉ. आशुतेष आनंद

असिस्टेंट प्रोफेसर

कॉलेज ऑफ लॉ

आई.आई.एम.टी. विश्वविद्यालय

गंगा नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250001

परिचय : (Introduction)

व्यक्ति का समाज से अटूट सम्बन्ध होता है। एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। प्रत्येक समाज में रहने वाले व्यक्तियों के अन्दर अच्छे–बुरे व्यक्ति का वास होता है। आज बाल अपराध विकसित और विकासवशील दोनों प्रकार के समाजों में एक चुनौती बन गया है। आज चाहे भारत हो या विश्व भर में कोई देश हो, वह बाल अपराध की समस्याओं से लड़ रहा है। इसी वजह से माता–पिता, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, पुलिस प्रशासन, अपराध शास्त्री, समाजशास्त्री, सरकार, मीडिया आदि सभी बाल अपराध का चिन्तन कर रहे हैं। इस विषय पर विभिन्न विद्वान भी अपने–अपने स्तर से आधुनिक दृष्टिकोण रखते हुए समझने व समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बाल अपराध जैसी समस्यायें कोई आधुनिक समय से ही प्रकट नहीं हुई है, परन्तु समाज एवं संस्कृति की जटिलताओं ने आज इसे और उग्र और जटिल बना दिया है। आधुनिकीकरण एवं नगरीकरण ने सामाजिक विघटन और सांस्कृतिक विघटन की गति प्रदान की है। बाल अपराध केवल आधुनिक समाज की ही देन नहीं है, बल्कि बाल अपराध हर काल और हर प्रकार के समाजों में मौजूद रहे हैं। हॉ यह जरूर है कि आज की परिस्थितियों में बाल अपराध पूर्व के काल से ज्यादा बढ़ रहा है। हमनें यह भी देखा है कि तकनीक सूचना क्रान्ति का फैला जाल कम्प्यूटर, इन्टरनेट, मीडिया, मोबाइल, न्यूक्लियर परिवार और नैतिक मूल्यों की नियन्त्रण क्षमता ने पाश्चात्य देशी की भांति बालकों में बाल अपराध में वृद्धि की है। बालक देश का भविष्य होते है। परिपक्वता के अभाव और उर्जा जनून, लाल में फंसने के कारण से कानून और नियन्त्रण मानकों को उनके द्वारा उल्लघंन और संघर्ष संकट का रूप धारण कर लेता हैं। उन्हें अपराधी मानने और अपराध नियन्त्रण के साधारण उपायों से उन्हें डील करना अप्रभावी होता है।

अपराधियों के सम्पर्क में आने के बाद उनसे अपराधियों के दूषित गुणों से होकर गुजरने से गम्भीर अपराधी बनाने की प्रबल संभावना के साथ ही अपराधियों एवं अपराधिक न्याय प्रशासन दोनों के द्वारा उनके शोषित होने की प्रबल समस्याओं से यह समस्या जटिल हो जाती है।

अपराध का जन्म हमेशा से ही समाज के शान्त वर्गो के लिये हानिकारक होता है, सामाजिक संचना में समाज के हितबद्ध कुछ नियम बनाये जाते हैं, जिसके अनुसार समाज के प्रत्येक वर्ग को उसका पालन करना होता है। जब समाज के ही किसी व्यक्ति या वर्ग के द्वारा निश्चिय नियमावली की हानि पहुॅचाकर समाज विरूद्ध कार्य करता है, जब यह माना जाता है कि समाज में विघटन पैदा कर रहा है। यहीं सामाजिक विघटन कहलाता है। बाल अपराध एवं व्यस्क अपराध सामाजिक विघटन के ही स्वरूप है।

भारतीय युवा वर्ग पर पाश्चात्य सभ्यता का इतना गहरा प्रभाव पड़ा है कि वे अपनी मूल भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को भुलाते जा रहा है। आज के युवाओं को खाने पीने, उठने बैठने, पहनने ओढ़ने तथा बनने संवरने आदि का ढंग इतना अधिक बदल चुका है कि सांस्कृतिक टकराव को और बच्चों को यह तय कर पाना कठित हो गया है कि कौन सा आचरण उचित है और कौन सा अनुचित। चलचित्र दूरदर्शन, रेडियो, डिस्को, कैबरे आदि ने भारतीय सभ्यता को पूर्णतः विकृत कर दिया है और बालकों और किशोरी की प्रवृत्ति हिंसा, मारकाट, नशाखोरी, लैंगिकता आदि की और बढ़ती जा रही है।

यौन उत्कंठा– बालक का जब शारीरिक विकास होता है तब उसके मन में भी समाज में होने वाले दूषित दृश्यों को बाल मन आसीन से ग्रहण कर लेता है तथा

यौन शिक्षा के अभाव में वह अपनी यौन कुंठाओं को शान्त करने के लिये यौन अपराधों को जन्म देते हैं, जो आज के आधुनिक युग में भयानक रूप ले चुका है।

<u>बालक किसे कहते हैं–</u>

बालकों द्वारा किये गये अपराध बालक अपराध कहलाते हैं। भारत बाल अपराध की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और अधिकतम आयु 18 वर्ष मानी गयी है, किन्तु दिल्ली में 16 दिसम्बर, 2012 में एक नाबालिग ने लड़की के साथ किये गये गैंगरेप को अन्जाम दिया, जिसमें 13 दिसम्बर, 2013 को कोर्ट द्वारा चारों बालिग अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई तथा नाबालिग अपराधी को जुबनाइल जस्टिस बोर्ड ने 3 साल के लिये बाल सुधार गृह भेज दिया। जस्टिस वर्मा कमेटी द्वारा की गयी सिफारिश में 16 साल के उम्र के व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।

सुश्री किरण बेदी द्वारा तिहाड़ जेल के कैदियों को सुधारने का एक सफल प्रयोग किया लेकिन हम डरते है कि वह केवल ''एक पेन में फ्लैश है''

<u>ब्रिटिश शासन में भारत में न्याय प्रणाली</u>

मद्रास चिल्ड्रन अधिनियम, 1920 पहला बाल अधिनियम था, जिसे 1922 और 1924 में बंगाल और बोम्बे द्वारा लागू किया गया था और उसके बाद कई राज्यों में अपने स्वयं के बाल कानून बनाये। ऑपरेटिव अधिनियम, 1850 पहला कानून था, जिसने भारत में किशोर न्याय प्रणाली की नींव रखी। इसके बाद किशोर न्याय की अवधारणा ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 सुधार विद्यालय अधिनियम, 1897 के पारित होने और भारतीय जेल समिति 1919–1920 द्वारा की गयी सिफारिशों के साथ गति प्राप्त की। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में भारत सरकार किशोर की समस्याओं को समझती हैं और

इस सम्बन्ध में सरकार किशोर न्याय के लिये कदम उठाती है और केन्द्रीय रूप से प्रशासनिक केन्द्र शासित प्रदेशों में कानून लागू करती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में 1847 में पहली बार किशोर के लिये स्थापित विशेष अदालते शुरू की गयी, जुबेनाइल ऑफेंडर्स एक्ट के तहत शिकागों में 1859 में पहला जुबेनाइल कोर्ट इंग्लैण्ड में स्थापित किया गया था।

<u>भारत में किशोर न्याय की प्रणाली में विकास</u>

भारत में जुबेनाइल जस्टि प्रणाली का विकास आजादी के बाद बच्चों के लिये एक नई शुरूआत है। भारत का संविधान विभिन्न मौलिक अधिकारों तथा मौखिक कर्तव्यों और राज्य नीति के प्रत्यक्ष सिद्धान्तों के साथ जुड़ा हुआ है जो बच्चों के अस्तित्व, जरूरतों, विकास और सुरक्षा का ध्यान रखता है।

दा चिल्ड्रन एक्ट, 1960 भारत के विभाजन के बाद उपेक्षित और अपराधी बच्चों की संख्या में उच्च वृद्धि हुई।

चिल्ड्रन एक्ट, 1960 ने बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, कल्याण, शिक्षा और पुनर्वास की उपेक्षा की है। भारत में पहली बार किसी भी अधिनियम ने किसी भी परिस्थिति में में जेल में बच्चों को हिरासत में रखने पर सख्ती से रोक लगा दी। यह अलग–अलग कानूनी निकायों के लिये प्रदान किया गया है कि वे अति कुपोषित बच्चों से निपटने के लिये बाल न्यायालय और बाल कल्याण बोर्ड है।

इन समस्याओं को किशोर न्यायालय अधिनियम, 1986 को पारित करके हटाने की मांग की गयी थी। इससे किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 का निर्माण हुआ, जिसमें व्यापक संशोधन हुआ और 2012 में फिर से नये संशोधन कानून की शुरूआत की, क्योंकि निर्भया कांड दिल्ली गैंग रेप मामला के बाद कानून में

परिवर्तन करना बहुत महत्वपूर्ण हो गयां अब किशोर कानून में कुछ सुधार लाने की आवश्यकता है, क्योंकि 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के साथ गम्भीर अपराधों में वृद्धि हुई है।

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

भारत में किशोर न्याय प्रणाली की मौजूदा स्थिति को समझने के लिये इतिहास की और देखने की आवश्यकता है। किशोर न्यायालय अपराधों के सामान्य कानून से जुड़े हुए है। हाई चासरी के अंग्रेजी संघीय न्यायालय ने सामान्य बाल कल्याण के अन्य क्षेत्रों में अपनी सुरक्षा को बढ़ाया और उपेक्षित और संक्षिप्त बच्चों को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया, हालांकि कोई निशानी नहीं है कि इन अदालतों ने अपराधी बच्चों पर किसी भी अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया है।

आम कानून के तहत–7 साल से कम उम्र के बच्चें को आवश्यक अपराधिक इरादे को विकसित करने में असमर्थ माना जाता था और 7 से 14 साल की उम्र के बच्चों को भी आवश्यक इरादों को विकसित करने में असमर्थ माना जाता है।

प्राचीन काल से ही मानव समाज में बाल अपराध एक समस्या के रूप में आज भी समाज के विभिन्न वर्गो को प्रभावित कर रहा है। पिछले कुछ दशकों में मानव समाज में हो रही क्रान्तिकारी परिवर्तनों के फलस्वरूप बाल अपराध का भी दृष्टिकोण बदल गया है। जिससे अव्यस्क मन पर इसका प्रभाव शीघ्रता से पड़ता है और अव्यस्क मन जल्दी ही उनसे प्रभावित हो जाता है। समाज की दशाये या पारिवारिक वातावरण अवरूसकों को सदाचार या अपचार का मार्ग पकड़ने में सहायता करती है, इसलिए आज बाल अपराध का गहन चिन्तन व शोध करने की बेहद आवश्यकता है।

संविधानिक पृष्ठ भूमि

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 लोकसभा द्वारा 7 मई, 2015 को पारित किया गया था। 22 दिसम्बर, 2015 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति के आश्वासन के बाद यह किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण के लिये कानून बन गया। 31 दिसम्बर, 2015 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू कर दिया। बड़े शहरों में अपराध और उनके द्वारा किये गये सबसे सामान्य अपराध चोरी के थे। चूँकि कुछ ही राज्यों में अपराधी बच्चों से निपटने का कानून मौजूद था, इसलिये भारत सरकार ने बाल अधिनियम, 1960 लागू किया।

बाल अपराध के पीछे सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियांः—

इसी तरह बाल अपराधी को समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर प्रदान किया। सामाजिक व्यवस्था में असामान्य परिवर्तन और उससे उत्पन्न परिस्थितियां मानवीय जीवन को काफी प्रभावित करती है। कमजोर बालक इन परिस्थितियों से शीघ्रता से प्रभावित हो जाता हैं विश्वव्यापी बाल अपराध के प्रकाशित आंकड़े इस बात के प्रमाण है कि सम्पूर्ण संसार में अवयस्कों द्वारा बाल अपराध बहुत तेजी से हो रहा है।

अभी हाल ही में अमेरिका में अवयस्क छात्र के द्वारा स्कूल में गोलीबारी कर कई छात्रों की जान ले ली गयी। इन घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं सामाजिक व्यवस्थायें दोषी होती है। अमेरिका व अन्य कुछ देशों में हथियारों का चलन आम हो गया है। कुछ देशों में किसी के लिये भी हथियार खरीदना आसान है, जिसके द्वारा कड़ी कानूनी प्रक्रिया नहीं है। भारत में केवल व्यस्कों को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अपनी जानमाल की सुरक्षा के लिये ही हथियार का लाइसेंस मिलता है, जबकि भारत के अलावा कई अन्य देश हैं जोकि बिना किसी विशेष परिस्थितियों के ही कोई भी हथियार खरीद सकता है। जोकि एक बड़े लोगों का समाज में शान या शौक को पूरा करने के

लिये ही होता है। इन्हीं कमियों के द्वारा अवयस्क मन व्यक्ति एवं इन हथियारों के द्वारा बिना विचारों के ही अपराध को जन्म दे देता है।

भारत में भी बाल अपराध एक गम्भीर समस्या है जोकि एक चिन्ता का विषय है। हॉलाकि सरकार के द्वारा अपराधियों के पुर्नवास एवं सुधार के लिये विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से बाल अपराधी को रोकने के कई सार्थक उपाय किये जा रहे है, जिनका निष्कर्ष भी आ रहा है।

पुरातनकाल में बाल अपराध

बाल अपराध ने पुरातन काल से आज 21वीं सदी, पेश काल, परिस्थितियों के अनुसार अपना रूप बदला है तथा आज में नये–नये आयामों को जन्म दिया है तथा नये सिद्धान्तों की स्थापना की है। सामान्यतः अपराध सामाजिक मूल्यों के विपरीत मानव व्यवहार है, जिससे समाज की हानि होती है। प्रत्येक काल में प्रत्येक समाज में अपराध होते आये है तथा अपराधियों का वर्गीकरण समयानुसार होता आया है इसके बाल अपराध एवं व्यस्क अपराधियों की धारणाओं में और इनकी व्याख्याओं में देशकाल और परिस्थिति का प्रभाव पड़ा है। आज बाल अपराध एवं व्यस्क अपराध का अध्ययन सामाजिक, मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में किया जाता है।

नवाचार एवं बाल अपराध

भविष्य एवं समाज और परिवार ही आशा की किरण होते है जिनका समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण माना जाता है एवं उनके समुचित विकास के लिये हरसम्भव प्रयास विभिन्न स्तरों पर किये जाते हैं। फिर भी बाल अपराधियों में विस्तार बढ़ोत्तरी हो रही है जो खेलने पढ़ने की उम्र होती है। उसी उम्र में बच्चे अपराध की अंधेरी दुनिया में प्रवेश कर लेते है। यह न केवल परिवार के लिये अपितु समाज राष्ट्र के

लिये एक गम्भीर चिन्ता का विषय बन गया है। बाल अपराध के पीछे नवकरण व परिस्थितियां जिम्मेदार होती है। कम्प्यूटर और नेटवर्क इस अपराध का मुख्य अंग बन गये है। किसी भी कम्प्यूटर का अपराधिक स्थान पर मिलना या कम्प्यूटर से कोई अपराध करना कम्प्यूटर अपराध की ही श्रेणी में आता है। बच्चे राष्ट्र का निर्माण करते हैं यदि बच्चे अपराध की तरफ अग्रसर हो तो हमारे देश का क्या हाल होगा, क्योंकि आज के समय में कम्प्यूटर द्वारा अश्लील फिल्में, साहित्य की किताबे भद्दे चरित्र, बच्चों की संगति, उनका स्वभाव और आचरण पर बच्चें के भविष्य पर असर डालता है। अगर कोई भी बच्चा गलत संगत में रहता है तो निःसन्देह उसका दुष्प्रभाव उसके भी आचरण पर पड़ता है। बाल अपराध एक सामाजिक समस्या है और समाज के ही व्यस्क समझदार लोगों के द्वारा इसका निराकरण किया जाना चाहिये।

कुछ अपराध शास्त्रियों ने प्रसार माध्यम, सिनेमा, दूरदर्शन आदि को भी बाल अपराध का कारण मानते हुए कहा कि किशोर एव बालकों के कोमल मन तथा मस्तिष्क पर इन माध्यमों द्वारा दर्शाये जाने वाले छाया चित्रों, अश्लील या वीभत्व दृश्यों का कुप्रभाव पड़ता है और व इन्हें वास्तविक जीवन में अनुसरण करने की ओर प्रवृत्त होते हैं और उन्हें अपराधी बना देते हैं। इसी प्रकार अश्लील साहित्य का भी उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः इस प्रकार की अवांछित फिल्में सीरियलों तथा पुस्तकों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जानी चाहिये, ताकि युवा पीढ़ी को इनके दुष्परिणामों से बचाया जा सकें। इन्टरनेट कैफे के अस्तित्व में आने के कारण इस समस्या ने और भी अधिक गम्भीर रूप धारण कर लिया है। शारीरिक विकास के शरीर में जब धीरे–धीरे होने लगता है तो शरीर के साथ– साथ बालक के मन बुद्धि का विकास होने लगता है कुछ बालक शारीरिक रूप से कमजोर व अक्षम होते है तथा कुछ बालक शारीरिक रूप से मजबूत

होते है। शारीरिक रूप से मजबूत बालक अपने से कमजोर लोगों के साथ अपराध या अपकृतय को कारित करते हैं, जबकि शारीरिक रूप से कमजोर छात्र उपग्रह व्यवहार के कारण अपराध को जन्म देते है, इसलिए बाल अपराध के अन्तर्गत शारीरिक विकास का भी महत्वपूर्ण स्थान है।

वर्तमान सामाजिक जीवन शैली

सामाजिक जीवन शैली में किसी भी अपराधी का जोकि अवयस्क है, उसके द्वारा जब कोई ऐसा अपराध किया जाता है जोकि जघन्य अपराधों की श्रेणी में आता है, जब उस अपराधी को विचारण भी व्यस्क अपराधी की भांति किये जाने पर कानून बनाने पर विचार कमेटी द्वारा कानून की बारिकियों का अध्ययन किया गया है।

सामाजिक वातावरण में 21वीं सदी में जबकि मानव ने मंगल ग्रह चनद्रमा पर अपना कदम रख दिया है और टैक्नोलोजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है एवं नये–नये प्रयोगों के द्वारा सामाजिक जीवन शैली में रहन–सहन बहुत ही सुविधाजनक एवं आराम दायक हो गया है। बस यही से समाज में प्रतिस्पर्धा और ज्यादा बढ़ गयी है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा से जहां समाज का एक वर्ग बेहद आराम दायक जीवन जी रहा है तथा वहीं उसके विपरीत समाज का दूसरा वर्ग बेहद मुश्किल भरा जीवन जीने को मजबूर है तथा तीसरा वर्ग जोकि मध्य वर्ग कहलाता है या अपनी दैनिक जीवन शैली में न बेहद अमीर और न ही बेहद गरीबी भरे जीवन से परे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर जीवन यापन कर रहा है।

अब वर्तमान समाज में अपराधियों के वर्गो में उम्र का विवेचन कर देने से व्यस्क अपराधी और अवयस्क अपराध यानि बाल अपराधी कर दिया गया है। भारत देश की विधायिका के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति बाल अपराधी कहलायेगा।

किन्तु सामाजिक परिदृश्यों में पुनः विचार मन्थन किया जा रहा है कि जघन्य अपराधों में बाल अपराधों की उम्र 16 वर्ष से व्यस्क अपराधों की भांति शामिल है।

वर्तमान में चल रहे रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध बाल्यावस्था में देश की रक्षा के लिये हथियार देकर लड़ना सिखाया गया है। यूक्रेन के बच्चे अपने देश की रक्षा के लिये हाथों में हथियार लेकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं।

सीरिया अफ्रीका के कई देश है, जहां बाल्य अवस्था 12—14 वर्ष की आयु में देश की रक्षा के लिये हथियार देकर लड़ना सिखाया जाता है एवं युद्ध में निपुण किया जाता है। यह भी सामाजिक ढांचे का एक स्वरूप है, जिसकी अवयस्कों को हथियार देकर देश की रक्षा करना सिखाया जाता है। अभी हाल में कुछ अवयस्कों के द्वारा स्कूलों में की गयी गोलीबारी से कई बच्चों की जान चली गयी और अनेक घायल हो गये। अब देखा जाये तो इस तरह अवयस्कों के द्वारा आसानी से हथियार प्राप्त कर कर उनका दुरूपयोग करने के लिये सामाजिक ढांचा ही जिम्मेदार होता है।

शोध पद्धति

साहित्य पुर्नविलोकन

जहां एक ओर संसाधन हमारी दिन प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरा करते हैं, वहीं दूसरी ओर दुरूपयोग एवं अव्यवस्थित उपयोग से हमारे जीवन पर बुरा असर डालते हैं। बाल्य न्याय प्रणाली में बालकों पर शोध करके बालकों के जीवन यापन का स्वरूप बदलना अति आवश्यक हो गया है, जिससे बाल अपराध में कमी आ सकें और बालकों के मस्तिष्क का विकास हो सकें।

शोध का महत्व

हमरे देश में आज अनेक प्रकार की समस्यायें पायी जाती है। इनमें जनसंख्या विस्फोट, निर्धनता, बेरोजगारी, सामाजिक–आर्थिक विषमतायें प्रमुख हैं। भारत की अधिकांशतः जनसंख्या आर्थिक पिछड़ेपन के अंधकार में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है।

आधुनिक समाज में किशोर अपराध कर देता है। यदि उसकी कुछ इच्छाएं आंकाक्षाएं और आवश्यकता होती है उन्हें पूरा करने का वह प्रयास करता है। उसके इस प्रयास में अनेक बाधाएं आती है, जिन्हें वह जीतने का प्रयास करता है अपने प्रयत्नों के फल से वह या तो सन्तुष्ट हो सकता है या असन्तुष्ट अथवा उदासीन।

<u>शोध का उद्देश्यः–</u>

हमारे समाज में अनेक समस्यायें हैं, जिसमें से बाल अपराध एक महत्वपूर्ण समस्या है। बाल अपराध की सामाजिक समस्यायें भी ऐसी ही समस्या है। कानून विधि का उल्लघंन चाहे अवयस्कों द्वारा किया जाये या किशोरों और युवाओं द्वारा राष्ट्र के लिये यह सदैव एक चिनता का विषय है। संसार के विभिन्न भागों में इस विषय पर नई दृष्टि से चिन्तन हो रहा है।

बाल अपराध कोई अलग समस्या नहीं है। इसे वर्तमान सामाजिक समस्ऱाओं की पृष्ठभूमि में ही समझा जा सकता है। बाल अपराध सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के तानेबाने का ही अंग है। हमारा यह उद्देश्य है कि बाल अपराध के नियमों में कुछ ऐसे संशोधन हो, जिससे बालकों की सामाजिक व आर्थिक वृद्धि हो। बच्चों के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम के लिये सरकार कुछ ऐसे कदम उठायें, जिससे यह ज्ञात हो सकें कि बच्चों का शोषण नहीं हो रहा है।

शोध की प्रकृति एवं स्वरूप

किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिये शोध करना अति आवश्यक है। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि उस शोध की प्रकृति व उसका स्वरूप क्या है। अपने मनमाने तरीके से किसी पर भी कोई भी अपराध थोपा नहीं जा सकता। जिस प्रकार एक वैज्ञानिक रासायनिक प्रयोगशाला में किसी रासायनिक पदार्थ बनाने के लिये अनुसंधान करते है, उसी प्रकार केन्द्रीय व राज्य सरकारे बाल्यावस्था की दृष्टि को देखते हुए बालकों के लिये कानूनों में कुछ ऐसे परिवर्तन किये जाये जिससे बालकों के मस्तिष्क में हो रही परेशानियों को दूर किया जा सकें।

शोध के लिये अपनाये गये उपकरण, तकनीकी एवं सीमायें

इस लघुशोध कार्य के लिये सैद्धान्तिक अनुसंधान को अपनाया गया है। इस लघु शोध कार्य के लिए मैंने विभिन्न श्रोतों से सहायता प्राप्त की है। इस लघु शोध कार्य हेतु समाचार पत्र, मैग्जीन, इन्टरनेट एवं विधिक पुस्तकों से सहायता ली है, जिसके द्वारा मैं अपना लघु शोध कार्य पूरा कर पाया हूँ।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में भारतीय परिप्रेक्ष्य में किशोर न्याय और नवाचार का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है। इस शोध प्रबन्ध को 7 अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है–

1– शोध का प्रथम अध्याय प्रस्तावना को सम्बोधित किया गया है।

2– शोध का द्वितीय अध्याय बाल अपराध के कारण वर्गीकरण निवारण सम्बन्धित नीतियों और सुधार संस्थाओं को भारतीय परिप्रेक्ष्य में सम्बोधित करता है।

3– अन्तराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किशोर न्याय व्यवस्था एवं संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान के अनतर्गत किये गये अभिसमय एवं समझौते।

4– बाल अपराध एवं नवाचार आधुनिक परिप्रेक्ष्य में तकनीकी परिवर्तन के कारण उत्पन्न दिशायें एवं दशाये।

5– बाल अपराध से सम्बनिधत न्यायिक निर्णय।

6– बाल अपराध एवं नवाचार का समीक्षात्मक एवं आलोचनात्मक अध्ययन।

7– निष्कर्ष एवं सुझाव।

<u>सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः–</u>

J.P.S. Sirohi-Criminology & Penalogy 2000 6th Edition.

Dr. S.S. Srivastava-Criminology & Criminal Administration, 2nd Edition 2002.

एम.एस. चौहान– बाल अपराध विश्लेषण संगति सामाजिक समस्याएं।

राम आहूजा– सामाजिक समस्याएं द्वितीय संस्करण।

डॉ ना.वि. परांजपे– अपराध शास्त्र, दण्ड प्रशासन एवं प्रतीड़नशास्त्र।

अन्य स्त्रौत– इंटरनेट, मैंग्जीन, विधिक पुस्तकें।

डॉ0 एम0एस0 चौहान– अपराध शास्त्र, दण्ड प्रशासन एवं पीड़ित शास्त्र–नवम् संस्करण 2012–सेन्ट्रल ऑफ एजेन्सी।

डॉ0 मुरलीधर चतुर्वेदी– अपराध शास्त्र, दण्ड शास्त्र–नवम् संस्करण 2012– इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन।

डॉ0 बसंतीलाल बावेल– अपराधशास्त्र द्वितीय संस्करण 1997 ईस्टर्न बुक कंपनी लखनऊ

डॉ0 अंजनिकान्त–महिला एवं बाल कानून द्वितीय संस्करण 2013–सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन इलाहाबाद।

डॉ0 बसंतीलाल बावेल–महिला एवं बाल कानून पंचम संस्करण 2014–सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन इलाहाबाद।

प्रो0 सूर्य नारायण– भारतीय दण्ड संहिता इक्कीसवां संस्करण 2010– सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन इलाहाबाद।

अली हसन जैदी–बाल विधि–संस्करण, 2012 हिन्द पब्लिशिंग हाउस।

कनीज फात्मा जैदी–किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000–संस्करण 2012 एलिया लॉ एजेन्सी।

डॉ0 बसंतीलाल बावेल–विधि एवं सामाजिक परिवर्तन–द्वितीय संस्करण 2011–सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद।

डॉ0 पुष्पलता तनेजा मानवाधिकार और बाल शोषण सत्साहित्य प्रकाशन दिल्ली।

रतनलाल तथा धीरज लाल – दण्ड प्रक्रिया सहिता सत्रवां संस्करण 2010 lexis Nexis Butter worth's wadhwa nagpur

शिव किनकर सिंह लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012– द्विभाषी संस्कारण 2014 सागर लो हाउस इलाहाबाद।

www.legalindia.com

www.indiankanoon.org

www.6crimeinindia